डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/ 3371 /2024
दिनांक 3.08.2024

सेवा में,
प्राचार्य/प्राचार्या,
प्रबन्धक/सचिव,
सम्बद्ध बी0एड0 महाविद्यालय।

विषयः—निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2024—25) के शुल्क के पुनर्निर्धारण।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 210/सत्तर—7—2024—बी0एड0(16)/2011 दिनांक 22 जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2024—25 में शुल्क निर्धारण हेतु सम्यक विचारोपरान्त गठित समिति द्वारा पूर्व की भाँति प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष हेतु शुल्क 51,250 तथा द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क रू0 30,000/— निर्धारित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालय अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय
03/08/24
कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रभारी वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त बी0एड0 महाविद्यालय की लॉगिन में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett

प्रेषक, संख्या–210 /सत्तर–7–2024–बी0एड0(16)/2011

कल्लू प्रसाद द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनॉकः 22 जुलाई, 2024

विषयः– निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2024–25) के लिए शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर–6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या– 1561/सोलह–1–2008–5(डब्लयू–48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या– 2463/2008–सोलह–ए–5(डब्लयू–48) /2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठयक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 10.07.2024 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी।

2– समिति की उक्त बैठक, पूर्व निर्गत शासनादेशों एवं राज्य विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आख्या पर सम्यक विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पूर्व की भांति प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रू0 51,250/– तथा द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क रू0 30,000/– निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।